(वाद सं०– 4590/4/40/2021)

10.01.2023

प्रसंगाधीन मामला अरवल एवं पालीगंज (पटना) पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से दिनांक–02.07.2021 को करीब 11.40 मिनट रात्रि में परिवाद, संतोष कुमार देव, के घर में घुसकर उसके पिता व ज्येष्ठ भ्राता के साथ मारपीट करने तथा बिना किसी महिला पुलिस के घर में घुसकर घर में रखे सामानों को इधर–उधर फेकनें से सम्बन्धित है।

उक्त पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित सहायक पुलिस अधीक्षक, पालीगंज, पटना के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘नर हत्या से सम्बन्धित पालीगंज थाना कांड संख्या–93/2019 दिनांक–12.03.2019 के अन्तर्गत घटना में उनकी संलिप्तता के संबंध में सत्य पाये गये अप्राथमिकी अभियुक्त संतोष कुमार, पिता–शिव प्रसाद, साकिन–गोवर्धन चौक, मोकरी+थाना–अरवल का नाम होने के उलझन (Confusion) के कारण उपरोक्त कांड के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उनके हमनाम (परिवादी संतोष कुमार देव, पिता–शिव कुमार सिंह, साकिन–गोवर्धन चौक, थाना+जिला–अरवल) को गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा बाद में इस तथ्य का सत्यापन होने पर परिवादी को उनके पिता व ज्येष्ठ भ्राता के साथ थाना से मुक्त कर दिया गया।’’

प्रसंगाधीन मामला परिवादी व उसके परिवार के साथ अनावश्यक रूप से पुलिस द्वारा उसे प्रताड़ित किये जाने से संबंधित पाकर मामले की जांच हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना एवं निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से अनुरोध किया गया।

उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों की ओर से वांछित जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो संचिका के (पृष्ठ 52–50/प0) पर रक्षित है। अपने संयुक्त जांच प्रतिवेदन में उनका कथन है कि पालीगंज थाना कांड संख्या–93/2019, दिनांक–12.03.2019 (भा0द0स0 की धारा–302/201 से संबंधित) में सत्य पाये गये अप्राथमिकी अभियुक्त का नाम संतोष कुमार, पिता–शिव प्रसाद, साकिन–गोवर्धन चौक, थाना + जिला–अरवल है जबकि परिवादी का नाम संतोष कुमार देव, पिता–शिव कुमार सिंह, साकिन–गोवर्धन चौक, थाना+जिला–अरवल है। संयोगवश दोनों के पिता भी शिक्षक है। इसी उलझन के कारण परिवादी व उसके परिवार के साथ प्रसंगाधीन घटना घटित हुई। जांच प्रतिवेदन में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि परिवादी को गिरफ्तार कर थाना लाये जाने एवं नाम सत्यापन के उपरांत उन्हें P.R. Bond पर मुक्त किये जाने से संबंधित घटना में अरवल व पालीगंज थाना के पुलिस कर्मियों की मंशा गलत प्रतीत नहीं होती है।

किसी भी व्यक्ति को बिना गलत मंशा के भी बिना उसके सत्यापन किये, पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि जिस व्यक्ति को वह गिरफ्तार करना चाहता है उसके नाम, पता व पहचान का सत्यापन करके ही उसे गिरफ्तार कर थाना में लाया जाय। किसी निर्दोष को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर थाना लाना ही उसके मानवाधिकार का हनन है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना व पुलिस अधीक्षक, अरवल से यह अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दें कि अभियुक्त की पहचान का सभी संभव सत्यापन करने तथा उससे संतुष्ट होने के उपरांत ही उसे गिरफ्तार किया जाय तथा अनावश्यक

रूप से हमनाम होने के आधार पर किसी निर्दोष को गिरफ्तार करने से बचा जाय।

उपरोक्त **अनुशंसा** के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना व पुलिस अधीक्षक, अरवल को भेजते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक